

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:कार्यालय आदेश:

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा उमा वर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैतपुर, गढवाडा जिला पाली किया गया था जिसके विरुद्ध उमा वर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4208/2019 उमा वर्मा बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 4208/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.11.2019 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपनी अपील में वर्णित आधारों पर आस-पास के रिक्त पदों को दर्शाते हुए एक अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपयुक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार, उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए एक सकारण अख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए। अपीलार्थी के अभ्यावेदन निस्तारण तक विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का क्रियान्वयन माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के विशेष श्रेणी महिला (विधवा) होने एवं अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों एवं व्यक्तिगत कठिनाईयों को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन अपने पूर्व कार्यरत स्थान राबाउमावि, मलारना डूंगर अथवा सवाई माधोपुर जिले में प्रधानाचार्य के किसी रिक्त पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय तथा राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 24.09.2019 के अनुसरण में अपीलार्थी, उमा वर्मा के विशेष श्रेणी (विधवा) होने, उनकी विकट पारिवारिक परिस्थितियों एवं व्यक्तिगत कठिनाईयों को मद्देनजर रखते हुए उनके अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनका समायोजन/पदस्थापन राउमावि, बागडोली, बॉली जिला सवाई माधोपुर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाकर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। उमा वर्मा, प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने नवीन समायोजन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से संबंधित समस्त सूचनाओं का इन्द्राज शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।


(हिमांशु गुप्ता) / 01
आई.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/उमा वर्मा/4208/2019 दिनांक 16.01.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर/पाली।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सवाई माधोपुर/पाली।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, सवाई माधोपुर/पाली।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. उमा वर्मा, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)